न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी।

In The Court of Additional Collector, Khunti

अनुसूची – 14 फार्म सं0 562
Schedule – Form No. 562

आदेश पत्रक

ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम –129
Record Manual 1941 Rule 129

दाखिल खारिज रिवीजन वाद सं0 11R15 वर्ष 2013 धारा
Case No. Year Section

अपीलकर्त्ता / प्र0 प0/आवेदक
Appellant / F.P/Petitioner महेश्वर दास बनाम तुरिया मुण्डा.
प्रतिवादी /द्वि0प0/विपक्षी
Respondent / S.P./ O.P.

आदेश कमांक /तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
28.05.13 05.09.13	प्रस्तुत वाद आवेदक श्री महेश्वर दास पे० स्व० चन्दरमैन दास साकिन- काटमकुकु थाना- कर्रा जिला- खूँटी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी के न्यायालय के विविध वाद संख्या- 03/2012-13 में दिनांक- 29.04.13 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। दाखिला बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.13 को रखें। [signature] 05/09/13	
11.09.13	आवेदक अनुपस्थित हैं। अपर समाहर्त्ता जिला स्थापना दिवस के कार्य में व्यस्त हैं। दिनांक 23.10.13 को रखें। [signature] 26/11/13 अपर समाहर्त्ता खूंटी	

आदेश क्रमांक /तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
11.05.18	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी है जिसकी अनुपस्थित है। निम्न न्यायालय का अभिलेख अप्राप्त है। नियत 25.05.18 को रखे।	
25.05.18	उभय [illegible] आवेदक द्वारा उपस्थिति दी गयी है जिसकी अनुपस्थित है। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे हैं। [illegible] है कि बाद में उन्हें जानकारी है। प्रस्तुत पत्र के लिखित बहस के आलोक में अंतिम आदेश पारित किया जाता है। [signature] 25.05.18	

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी

दाखिल खारिज रीविजन वाद संख्या –11R 15/2013

महेश्वर दास – आवेदक

बनाम्

तुरिया मुण्डा वगैरह – विपक्षी

आदेश

25/05/18 प्रस्तुत वाद आवेदक महेश्वर दास पिता– स्व0 चन्द्रमौन दास, साकिन–काटमकुकु, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय के विविध वाद संख्या–03/2012–13 में दिनांक– 29.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता द्वारा वाद की अग्रेतर सुनवाई हेतु दाखिल (Admit) कर विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी है तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। जो अभिलेख में संलग्न है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि रीविजन कर्ता/आवेदक द्वारा माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी के न्यायालय में निम्न वर्णित भूमि के म्युटेशन के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया था, जिसकी सं0 विविध वाद एम–03/12–13 थी।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कुलहुटु	कर्रा	159	91	647	0.06 एकड़
				648	0.54 एकड़
				728	0.13 एकड़
				कुल रकबा –	0.73 एकड़

उपरोक्त जमीन आर0 एस0 खतियान में जगु दास वल्द बैदनाथ दास कौम गोसाई, साकि काटमकुकु दर्ज है एवं कॉलम 3 में नोकराना, कॉलम 4 में " वास्ते करने काम खीदमतगार का मिला है। तथा कॉलम 5 में बेलगान दर्ज है। माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी के द्वारा दिनांक–29.04.2013 को पारित आदेश पूर्णतः त्रूटिपूर्ण है जो निम्न प्रकार है :–

विविध वाद सं0–03/12–13 में प्लॉट नं0– 647 के स्थान पर 617 एवं प्लॉट नं0– 728 के स्थान पर 725 लिखा गया है जो बिल्कुल गलत है। वादगत भूमि बेलगान है बावजूद अंचलाधिकारी कर्रा के द्वारा ग्राम– कुलहुटु, थाना नं0– 159, थाना– कर्रा, जिला– खूँटी अन्तर्गत खाता सं0– 91, प्लॉट नं0–647, रकबा–6 डी0, प्लॉट नं0–648, रकबा–54 डी0 कुल रकबा– 60 डी0 जमीन को विपक्षी के पिता ठेमका मुण्डा के नाम से पंजी II में दर्ज करते हुए लगान बांध दिया गया है एवं

मालगुजारी रसीद काटा जा रहा है, जो बिल्कुल गैर कानूनी, गलत एवं असंवैधानिक है। वादगत भूमि पर विपक्षी कभी भी एक दिन के लिए भी दखलकार नहीं रहा है। रीविजनकर्ता ही अपने पूर्वजों के समय से दखलकार रहते हुए खेती–बारी करता आ रहा है। उपरोक्त भूमि पुरोहित आलमनाथ वैध के द्वारा जगु दास को हालनाप के पूर्व पूजा–पाठ करने वास्ते नौकराना के एवज में हमेशा के लिए बन्दोबस्त किया गया है। उपरोक्त जमीन को जगु दास ने कभी भी जमीन्दार को वापस नहीं किया है और न जमीन्दार के द्वारा उक्त जमीन विपक्षी के पिता–ठेमका मुण्डा के नाम हुकुमनामा लिखा गया है। विपक्षी के द्वारा जो कागजात कोर्ट को दिखाया जा रहा है या लिखित रूप में कहा गया है पूरा का पूरा फर्जी, बनावटी एवं निराधार है। जहाँ तक विपक्षी के द्वारा यह कहना कि रीविजनकर्ता/आवेदक इतने दिनों तक दाखिल–खारिज नहीं कराया एवं मौन रहा बिल्कुल गलत है क्योंकि वादगत भूमि बेलगान है। रीविजनकर्ता के नाम से बन्दोवस्त पदाधिकारी राँची के द्वारा भी बण्डा पर्चा बनाया गया है। विपक्षी के नाम जमाबन्दी ही गलत है, किसी भी कीमत पर खतियानी बेलगान जमीन पर दूसरे के नाम जमाबन्दी नहीं खोला जा सकता है। रीविजनकर्ता के पास यही जमीन कृषि के लिए मुख्य आधार है, इसके अलावे उनके पास कोई अन्य कृषि योग्य भूमि नहीं है।

वादगत भूमि का जमाबन्दी ठेमका मुण्डा के नाम को हटाकर रीविजनकर्ता के नाम दर्ज करते हुए लगान बांधकर मालगुजारी रसीद देना आवश्यक है। विपक्षी अत्यंत ही चतुर, दबंग एवं धनवान व्यक्ति है जो गरीब गोसाई, (पुजारी) की जमीन को गलत ढंग से कागजात बनाकर हड़पने का कुप्रयास कर रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों कागजातों एवं सत्यता को देखते हुए अंचलाधिकारी कर्रा के द्वारा ठेमका मुण्डा के नाम खोले गए जमाबन्दी को रद्द करते हुए रीविजनकर्ता के नाम जमाबन्दी खोल पंजी ॥ में इनका नाम चढ़ाते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत करने एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रस्तुत विविध पुनरीक्षण जो आवेदक द्वारा विपक्षी के विरूद्ध किया गया है, वह कानून एवं तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नहीं है। प्रस्तुत विविध पुनरीक्षण कालबाधित है। विधि वाद संख्या–03/2012–13 में न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खूँटी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत है एवं इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ग्राम–कुलहूटू, थाना नं0– 159, थाना– कर्रा, जिला–खूँटी के अन्तर्गत खाता नं0–91, प्लॉट नं0– 647, रकबा– 6 डीसमिल, प्लॉट नं0– 648, रकबा– 54 डीसमिल कुल रकबा 60 डी0 जमीन जो वर्ष 1946 ई0 से विपक्षी के पिता के नाम से है तथा उक्त जमीन पर विपक्षी का दखल–कब्जा है एवं स्वतंत्रता के पूर्व से जमीनदार को लगान देते आ रहें हैं एवं आजादी पश्चात् बिहार एवं झारखण्ड सरकार को लगान देते आ रहे हैं। जमीन्दारी रसीद एवं बिहार एवं झारखण्ड सरकार को दिया मालगुजारी रसीद एवं बिहार एवं झारखण्ड सरकार को दिया मालगुजारी रसीद वर्ष 2014–15 तक छाया प्रति संलग्न हैं। उपरोक्त जमीन आर. एस. खतियान में जगुदास के नाम से नौकराना बेलगान दर्ज है। नौकराना जमीन पर रैयत का कोई हक–दावी नहीं रहता हैं, हक दाबी सिर्फ जमीन्दार का होता है। माननीय झाारखण्ड उच्य न्यायालय राँची आडु मुण्डा बनाम् सरकार एवं अन्य में वर्ष 2003 में नौकराना जमीन के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि नौकराना जमीन पर जमींदार का हक अधिकार होता है एवं जमींदार जब चाहे अपना जमीन नौकर से वापस ले सकता है या नौकर का मृत्यु हो जाता है तो वह स्वतः जमींदार का हो जाता है, नौकराना जमीन में उत्तराधिकारी हक नहीं होता है। रैयत जगु दास जो नावल्द था। उसने अपने जीवनकाल में ही उक्त जमीन जमींदार को वर्ष 1945 ई0 में वापस कर दिया है तथा जमींदार द्वारा उक्त नाम हुकुमनामा लिख दिया है तथा विपक्षी के पिता ठेमका मुण्डा तब से अब तक उक्त जमीन पर दखल कब्जा है। आजादी पश्चात् कर्रा अंचल में पंजी

ां में उक्त जमीन विपक्षी के पिता ठेमका मुण्डा के नाम से दर्ज है तथा तब से लेकर अब तक उक्त जमीन का मालगुजारी ठेमका मुण्डा के नाम से चला आ रहा है एवं उक्त जमीन पर वर्तमान में विपक्षी का दखल कब्जा है एवं विपक्षी उक्त जमीन पर खेती–बारी करता है। आवेदक शुरू से ही इस तथ्य पर मौन है कि वह इतने दिनों तक दाखिल खारिज क्यों नहीं करायां। आवेदक द्वारा बण्डा–पर्चा के बारे में कहा जाता है। परंतु दाखिल बण्डा पर्चा में खाता नम्बर दर्ज नहीं है एवं बण्डा पर्चा का अंतिम प्रकाशन सरकार द्वारा नहीं किया गया है एवं विपक्षी द्वारा उक्त बण्डा पर्चा को रदद् कराने हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारी राँची में छोटानागपुर अभिधृत अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत मुकदमा किया गया है। जिसका मुकदमा संख्या–49/13 है, एवं बण्डा पर्चा से अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। उक्त वाद संख्या–49/13 में कर्रा में बन्दोबस्त पदाधिकारी राँची द्वारा भी महेश्वर दास वगैरह के बण्डा पर्चा को खारिज करते हुए विपक्षी तुरिया मुण्डा के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आदेश एवं दो सर्वेयर का स्थल जाँच का सत्यापित प्राप्ति संलग्न है। विपक्षी का जमाबन्दी काफी वर्षो से चला आ रहा है एवं आवेदक द्वारा पूर्व में भी इसके विरूद्ध कोई भी न्यायालय में आवेदन नहीं दिया गया है।

उपरोक्त जमीन पर आवेदक का कभी भी दखल–कब्जा नहीं हैं एवं आजादी के पूर्व से दखल कब्जा है। अतः विपक्षी द्वारा आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित बहस, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त विवादित जमीन खतियान में जगु दास वल्द वैदनाथ दास के नाम से नौकराना एवं बेलगान दर्ज है। विपक्षी का कहना है कि रैयत जगु दास नावल्द या उसने अपने जीवनकाल में ही उक्त जमीन जमींदार को 1945 में वापस कर दिया है तथा जमींदार द्वारा उक्त जमीन दिनांक 11.05.1946 ई० को विपक्षी के पिता ठेमका मुण्डा के नाम हुकुमनामा लिख दिया है इसके संबंध में विपक्षी द्वारा कोई भी प्रमाण/कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है । साथ ही निम्न न्यायालय द्वारा विविध वाद सं0 03/12–13 में प्लौट नं0 647 के स्थान पर 617 तथा प्लौट नं0 728 के स्थान पर 725 अंकित करते हुए आदेश पारित किया गया है जिससे विवादित जमीन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मूल अभिलेख पर पुनः स्पष्ट आदेश पारित करने हेतु निम्न न्यायालय को (Remand back) किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि जमीन का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए। पक्षकारों को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

25/05/18
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी।

25/05/18
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी।